झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड वित्त (संशोधन) विधेयक, 2001
(सभा द्वारा यथा पारित)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड वित्त (संशोधन) विधेयक, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

(1) संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ।

(2) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 9 का संशोधन।

(3) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 12 का संशोधन।

(4) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 12 की उपधारा 2 के बाद एक नई उपधारा का अन्त:स्थापन।

(5) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 13 का संशोधन।

(6) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 13 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक का अन्त:स्थाना।

(7) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 14 का संशोधन।

(8) बिहार अधिनियम-5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 25 अ का संशोधन।

झारखण्ड सरकार

वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग

झारखण्ड वित्त (संशोधन) विधेयक, 2001

(सभा द्वारा यथापारित)

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5, 1981) (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ।-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड वित्त (संशोधन) अधिनियम 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 5,1981 (अंगीकृत) की धारा 9 का संशोधन।

बिहार वित्त अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 5, 1981) (अंगीकृत) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के बाद एक नया खण्ड (क क) अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा - ''(क क) वाणिज्य-कर अपर आयुक्त''

3. बिहार अधिनियम 5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 12 का संशोधन -

उक्त अधिनियम की धारा 12 में-(i) उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''पच्चीस प्रतिशत'' एवं ''दो प्रतिशत'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''तीस प्रतिशत'' एवं ''एक प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) उपधारा (2) के बाद एक नई उपधारा अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा :-

(3) ''इस भाग में किसी बात के होते हुए भी पैकिंग सामग्रियाँ (कनटेनर्स एवं अन्य समान सामग्रियाँ) का व्यवहार या उपयोग जिस वस्तु के पैकिंग के लिए किया गया है या किया जा रहा है, का दर उस वस्तु के दर के समान होगा, चाहे उस पैकिंग सामग्रियाँ (कनटेनर्स एवं अन्य समान सामग्रियाँ) पर पूर्व में कर चुका दी गई हो या पैकिंग सामग्रियों के लिए कोई अनुबंध किया गया हो।''

4. बिहार अधिनियम 5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 13 का संशोधन -

उक्त अधिनियम की धारा 13 में :- (i) उपधारा (1) के खण्ड (क) जो पूर्व में विलोपित कर दी गई थी, के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित की जायेगी, यथा -

''(क) (i) ''सरकारी विभागों, बोर्डो तथा कारपोरेशन द्वारा झारखण्ड राज्य स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा विनिर्मित माल की खरीद पर, बशर्त्ते खरीद पुर्नबिक्री अथवा बिक्री हेतु माल के विनिर्माण में प्रयोजनों से भिन्न उपयोग के लिए हो''।

(ii) उप खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट इकईयों से खरीदी गयी वस्तुओं की रियायती दर दो प्रतिशत होगी''।

(ii) उपधारा (i) के प्रथम परन्तुक के अन्त में पूर्ण विराम ''।'' के स्थान पर अर्द्ध विराम '';'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक

अंत:स्थापित किया जायेगा, यथा -

''परन्तु यह और कि इस धारा के अन्तर्गत रियायती दर पर क्रय किये गये माल का प्रयोग विनिर्माण कार्य के लिए केवल झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत ही किये जायेंगे एवं इनसे उत्पादित माल का बिक्रय झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत या अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के लिए भी होगा।''

5. बिहार अधिनियम 5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 14 का संशोधन -

उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6) में शब्द ''तीन वर्ष की अवधि'' के स्थान पर शब्द ''पाँच वर्ष की अवधि'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. बिहार अधिनियम 5, 1981 (अंगीकृत) की धारा 25 अ का संशोधन -

उक्त अधिनियम की धारा 25 अ की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक अंत:स्थापित की जायेगी, यथा- ''परन्तु यह और कि निम्न परिस्थितियों में श्रोत पर अग्रिम कर की कटौती नहीं की जायेगी बशर्ते इस आशय का प्रमाण पत्र उस क्षेत्र के वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0) से प्राप्त कर कटौती करने वाले पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा-

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3,4 एवं 5 के अन्तर्गत किये गये संव्यवहार,

(ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 14 एवं 15 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए की गयी बिक्री/आपूर्ति पर,

(iii) संवेदकों द्वारा उप संवेदक को किये गये भुगतान राशि पर बशर्त्ते कि उप संवेदक निबंधित हों एवं यह प्रमाणित हो जाय कि उप

संवदेक (Sub-contractor) द्वारा उक्त राशि को अपने दाखिल विवरणी में सम्मिलित कर लिया गया है,

(iv) श्रम एवं सेवाएँ, योजना, डिजाइन, स्थापना, उपभोग सामग्री यथा पानी, बिजली आदि तथा किराये पर लिये गये मशीनरीज और यन्त्र,

(v) प्रक्रम / बिन्दु पर झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कर प्रदत्त वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें यथावत् उसी रूप में हस्तान्तरित / आपूर्ति की जा रही हो।''

--:--:--

यह विधेयक झारखण्ड वित्त (संशोधन) विधेयक, 2001 दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 19 दिसम्बर, 2001 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष